03/4/24

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी वास्ते ओरिजनल प्र.पत्र लिया जावे 15/04/2024 को पेश हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

03/4/24 को श्री प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम विरुद्ध प्र.पत्र प्रस्तुत किया गया

15/4/2024

पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/चुनाव/
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 29/4/2024 को पेश हो।

पूर्व में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र बाबत काउन्टर क्लेम विरुद्ध किए जाने बाबत कार्यवाही किया जावे

AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/04/24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 से 5 द्वारा विरुद्ध विपक्षीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि पूर्व मे इसी न्यायालय मे वादीया डालीबाई स्वंय तथा प्यारीबाई के पुत्रों द्वारा खातेदारी घोषणा एंव निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु इसी आराजीयात एंव इन्ही पक्षकारान के मध्य पूर्व मे वाद पत्र संस्थित किया था, जिसके प्रकरण संख्या 10/2006 में उक्त वाद पत्र को न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर साक्षीगणो का परीशीलन करने के पश्चात वाद पत्र को साबित कराने मे वादीगण के विफल होने से खारीज करते हुए दिनांक 05/12/2011 को डिक्री जारी की। उक्त डिक्री आज भी प्रभावित है, क्योंकि वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही कर, निरस्त नही कराया। इन्ही पक्षकारान के मध्य पुनः नौ वर्ष पश्चात इसी अनुतोष का पश्चातवर्ती वाद पत्र विधिनुसार चलने योग्य नही रहता है, जिससे वादीगण का वाद पत्र रेसज्युडिकेटा के दोष से दुषित होने से खारीज योग्य होने से वादी का वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। विपक्षीगण/वादीगण द्वारा कथन किया गया कि वादीया प्यारीबाई द्वारा आज से पूर्व कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया ......लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तथा डालीबाई ने कोई मुकदमा पेश किया हो तो वादीया ज्यशीबाई को जानकारी नही है। पूर्व वाद संख्या 10/2006 के पेश होने व न्यायालय द्वारा खारीज किये जाने की जानकारी नही है तथा धारा 11 CPC के अन्तर्गत रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त पर जवाब दावा लेकर, तनकी बना निर्णय कर सकते है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के साथ प्रस्तुत इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 10/2006 निर्णय डिक्री दिनांक 05/12/2011 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं पूर्व वाद पत्र 10/2006 ग्राम धनेतकलां की आराजी संख्या 102 से 110 कीता 9 रकबा 0.45 हे. भूमि से सम्बन्धित होकर, दोनो ही प्रकरण स्वातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सम्बन्धी होकर वादीया नम्बर 02 पूर्व वाद 10/2006 मे भी वादीया थी एवं वादीया नम्बर 01 के पुत्र पूर्व वाद 10/2006 मे वादीगण थे। इसलिए वादीया ज्यशीबाई को पूर्व वाद संख्या 10/2006 की जानकारी नही होने की बात मानने योग्य नही है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रेसज्युडिकेटा के दोष से दुषित होने से विधि अनुसार चलने योग्य नही होने से खारीज

.... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188-209 आर.टी.ए. बाबत ग्राम धनेंतकला तहसील चित्तौड़गढ़ के आराजी संख्या 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 कुल बीघा 09 कुल रकबा 0.45 हे० खारीज किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम विड्रो मे खारीज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली कौंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.प्यारीबाई पत्नी स्व.मांगीलाल जटिया नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ़

2.डालीबाई बेवा नौला लोदा नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ़

–वादीगण

बनाम

1.कैलाशचन्द्र पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ

2.ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ

3.फुलचंद शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा नि.गांधीनगर चित्तौडगढ

4.निंरजन सुवालका पिता ईश्वरदयाल सुवालका नि.प्रतापनगर चित्तौडगढ

5.श्रीमान् भूमिधारी श्री तहसीलदार साहब चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

–प्रतिवादीगण

प्र.स. 157/2020 (GCMS 2020/00380)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–89–188–209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र राजौरा की, और प्रतिवादी ओर से वकील श्री दिनेश दायमा की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–209 आर.टी.ए. बाबत् ग्राम धनेतकला तहसील चित्तौडगढ के आराजी संख्या 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 कुल कीता 09 कुल रकबा 0.45 हे. खारीज किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम विड्रो मे खारीज किया जाता है ।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)